न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 735 / 2024
अनवान : –

1. वेद प्रकाश पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. प्रकाश पुत्र रूघनाथ राय जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80 / 80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से 1142737 / 1941000 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विवादित भूमि में से 0.01709 है0 भूमि जरिये बयनामा दिनांक 22.08.2022 को वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से दिनांक 22.08.2022 को रजिस्टर्ड है।

विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से वादी रकम राज अदा करता आ रहा है। रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80 / 80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से 1142737 / 1941000 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 22.08.2022 को 0.01709 है0 भूमि वादी को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादी के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादी विवादित भूमि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80 / 80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से 1142737 / 1941000 हिस्सा भूमि में से 0.01709 हैक्टेयर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई बार कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे परन्तु प्रतिवादी आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, चित्रप्रति रजि0 बैयनामा दिनांक 22.08.2022 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80/80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से 1142737/1941000 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विवादित भूमि में से 0.01709 है0 भूमि जरिये बयनामा दिनांक 22.08.2022 को वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से दिनांक 22.08.2022 को रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से वादी रकम राज अदा करता आ रहा है। रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80/80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से 1142737/1941000 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 22.08.2022 को 0.01709 है0 भूमि वादी को बेचान कर दिया मुताबिक बैयनामा वादी उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80/80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से 1142737/1941000 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा के मुताबिक वादी ने जरिये बैयनामा 22.08.2022 को वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से खरीद [illegible] उप पंजीयन नोहर से दिनांक 22.08.2022 को रजिस्टर्ड है जिसका [illegible] है वादी मुताबिक बैयनामा खरीद की गई भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80/80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 की 1142737/1941000 हिस्सा भूमि में से 0.01709 हैक्टेयर भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 735/2024
अनवान : –

1. वेद प्रकाश पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. प्रकाश पुत्र रूघनाथ राय जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 735 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 80/80 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.9410 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 की 1142737/1941000 हिस्सा भूमि में से 0.01709 हैक्टेयर भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested